



Neutral Citation No-2026:AHC:4313

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4637 वर्ष 2025

कमलाकांत याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: दिवाकर शुक्ला

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि ग्राम अचिंतपुर पिटाई, परगना हस्वा, तहसील और जिला- फतेहपुर के पर्याप्त क्षेत्र को एक अन्य गांव, सखियांव, परगना हस्वा, तहसील और जिला- फतेहपुर में मिला दिया गया है; इसलिए, अधिकारियों को इस संबंध में राजस्व प्रविष्टियों को ठीक करने का निर्देश दिया जा सकता है।
3. मेरी राय में, यह मामला बड़े पैमाने पर जनता के हित से संबंधित है, जो दोनों गांवों के मूल निवासी हैं; इसलिए, याचिकाकर्ता उस क्षेत्र की वापसी के संबंध में शिकायत के निवारण के लिए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने के उपाय का लाभ उठा सकता है, जो कथित तौर पर गांव अचिंतपुर पिटाई से संबंधित है, हालांकि, सखियांव गांव के साथ जुड़ा हुआ है।
4. तदनुसार प्रस्तुत याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 8, 2026

वीकेजी

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)